मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल

शिकायत क्र0 क्र0/सी–253/रासूआ/33–1/इंदौर/2006

श्री सरदार सिंह कायस्थ — शिकायतकर्ता
कार्या–मध्यभारत बलाई समाज संगठन,
ई0के0 54/विजय नगर,
इन्दौर (म0प्र0)

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
इन्दौर (म0प्र0)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना,
देपालपुर,
जिला इंदौर (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 07 जून 2006)

शिकायतकर्ता श्री सरदारसिंह कायस्थ उपस्थित नहीं है । उन्हें आज उपस्थित होने के लिए नोटिस दिनांक 09 मई 2006 को भेजा गया था ।

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर श्री आशुतोष अवस्थी एवं अपीलीय अधिकारी तथा अपर कलेक्टर एवं श्रीमती माला विजयवर्गीय, परियोजना अधिकारी, देपालपुर एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं ।

3 शिकायत में मुख्यतः तीन बिन्दु हैं । प्रथम बिन्दु आवेदन एवं अपील प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर के द्वारा शपथ में बयान कराने के संबंध में है । शिकायतकर्ता ने किसी विशिष्ट प्रकरण का इसमें उल्लेख नहीं किया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कहना है कि वे आवेदन और अपील प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार का बयान नहीं लेते हैं और शपथ में बयान देने के लिये कहते हैं । किसी विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण इसमें मुझे जॉच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

4 दूसरा बिन्दु यह है कि शिकायतकर्ता प्रमाणित प्रतियों की ए–4 साईज फोटो कॉपी के लिए 5 रूपये प्रति पृष्ठ लिये जाने के संबंध में है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह कहना है कि उनके कार्यालय में केवल 2 रूपये प्रति पृष्ठ ही लिये जाते हैं जो कि शासन द्वारा निर्धारित है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महू के द्वारा एक प्रकरण में 5 रूपये प्रति पृष्ठ के अनुसार लिया गया है लेकिन जब उनके ध्यान में लाया गया कि शासन के द्वारा निर्धारित केवल 2 रूपये प्रति पृष्ठ ही लिये जाने हैं तो उन्होंने अधिक ली गई राशि संबंधित को चेक के द्वारा उन्हें वापस कर दी । अतः इस बिन्दु पर भी किसी प्रकार की जॉच की आवश्यकता नहीं है, केवल यह निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत स्वयं अपने कार्यालय में तथा अधीनस्थ जनपद पंचायत कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि ए–4 साईज की फोटो कापी के लिए नहीं लिए जाते हैं । इस संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधितों को प्रसारित करेंगे ।

5. तीसरा बिन्दु गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को सत्य प्रति देने के लिए राशि की वसूली करने के संबंध में है । इस विषय पर परियोजना अधिकारी का यह कहना है कि शिकायतकर्ता ने एक आवेदन पंकेश पटेल का भेजा था जिसमें यह उल्लेख है कि वे गरीबी रेखा के नीचे के हैं, इसमें आवेदक ने गरीबी की रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाया था । इस आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता ने निर्धारित शुल्क के टिकिट लगाये थे, इसलिये यह सही नहीं है कि यह व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे का है । परियोजना अधिकारी के अनुसार कोई अन्य आवेदन पत्र गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्ति द्वारा उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार है और निरस्त की जाती है ।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

सही / –
(टी0एन0 श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

05 अप्रेल 2006